



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261760
CG-DL-E-20032025-261760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1263]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1277(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। केंद्र सरकार इसके द्वारा सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. में निम्नलिखित संशोधन करती है। 2187(ई), दिनांक 7 सितम्बर 2010, भारत के राजपत्र में प्रकाशित। असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii)।

अनुसूची के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंगलोर को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तुमकुर के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. RW/NH-12037/14/2010/sp(LA)/P-9]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th March, 2025

S.O. 1277(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956). The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the

Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2187 (E), dated 7th September 2010 published in the Gazette of India. Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

The Special Land Acquisition Officer, National Highways, Bangalore, mentioned in column no.2 of Schedule, shall be read as Special Land Acquisition Officer, National Highway Authority of India, Tumkur

[F. No. RW/NH-12037/14/2010/sp(LA)/P-9]

SHAIKH AMINKHAN, Director